LALITPUR POLICE

प्रेस नोट

दिनांक- 27.04.2024

कोतवाली ललितपुर पुलिस व स्वाट / सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये प्रकाश में आये 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गयी 2 नग पीली धातु (एक अदद कलश व एक अदद श्रीफल) को किया गया बरामद।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं श्रीमान् पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देश के क्रम में, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीअजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0स0-435/2025 धारा 331(4), 305(D) बीएनएस में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. बादल पुत्र माधव आदिवासी उम्र करीब 21 वर्ष निवासी क़स्बा जाखलौन थाना जाखलौन जनपद ललितपुर हाल निवासी मस्जिद के सामने राजघाट थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर, 2. मंगल पुत्र मिट्ठू आदिवासी उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम अतइ खेडा थाना बहादुरपुर जिला अशोक नगर म0प्र0 को दिनाँक 26.04.2025 को स्थान बैंक तिराहा से हनुमान गढ़ी मंदिर वाले रास्ते की ओर राजघाट थाना कोतवाली ललितपुर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुये न्यायिक अभिरक्षा हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- मुकदमा वादी ने थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात चोर द्वारा मंदिर का ताला तोड़कर चोरी कर ले जान के संबंध में सूचना दी गयी थी।

सूचना पर थाना कोतवाली ललितपुर पर मु0अ0सं0- 435/2025 धारा 331(4), 305(D) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 04 पुलिस टीमें गठित की गयी थी जिसमें थाना पुलिस, सर्विलांस / स्वाट टीम आदि को लगाया गया था गठित टीमो द्वारा टेक्निकल व मैनुअली, सीसीटीवी व अन्य माध्यमों से प्राप्त डेटा का तकनीकी अवलोकन व विश्लेषण कर,अपराधियों की पहचान की गयी। दौराने विवेचना व प्राप्त एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

पूछतांछ का विवरण- अभियुक्त बादल ने पूँछने पर बताया कि मैं कभी -कभी मन्दिर में झाड़ू पोछा लगाने के लिये जाता था। मन्दिर में भगवान की मूर्तियां, कलश, श्रीफल व अन्य सामान रखा रहता था, जिसके सम्बन्ध में मुझे पूरी जानकारी थी मुझे रुपयों की जरूरत थी, इसलिये मैने अपने जीजा मंगल के साथ मन्दिर में चोरी करने का प्लान बनाया और दिनांक 20.04.2025 को मैने मौका पाकर मन्दिर से पीली धातु की भगवान की मूर्तियां, कलश व श्रीफल चोरी कर लिया था। साहब हमने भगवान की तीनों मूर्तियों को फेरी लगाने वालों को 3000 रूपये में पहले ही बेंच दिया था और कलश व श्रीफल को भी बेचने जा रहे थे, कि आप लोगो ने हमें पकड लिया। साहब हम लोग से गलती हो गई हमें मांफ कर दीजिए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता व उम्र-

1. बादल पुत्र माधव आदिवासी उम्र करीब 21 वर्ष निवासी क़स्बा जाखलौन थाना जाखलौन जनपद ललितपुर हाल निवासी मस्जिद के सामने राजघाट थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर,
2. मंगल पुत्र मिट्ठू आदिवासी उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम अतइ खेडा थाना बहादुरपुर जिला अशोक नगर म0प्र0

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण-

2 नग पीली धातु (एक अदद कलश व एक अदद श्रीफल) व जामातलाशी 2350 रुपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम के अधि0/कर्म0गण का नाम-

1.श्री रमेश चन्द्र मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली ललितपुर।
2.उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह चौकी प्रभारी राजघाट थाना कोतवाली ललितपुर मय टीम।
3. उ0नि0 श्री अतुल तिवारी प्रभारी स्वाट मय टीम।
4.उ0नि0 श्री अरूण पवार प्रभारी सर्विलांस मय टीम।